राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–एफ–1(   )प्रशासन/आकाशि/2019/5125   दिनांकः– 20-09-2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उगस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.8(2)प्र.सु./अनु–4/2019 (पार्ट) दिनांक 30 अगस्त 2019 की प्रति संलग्न की जा रही है । कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प01(2)कार्मिक/ख–3/2012 क्रमशः दिनांक 06.02.2012 एवं 30.03.2012 द्वारा राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली प्रारम्भ की गई थी।

अतः इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के साथ त्वरित् कार्यवाही करते हुये महाविद्यालय स्तर पर एक कमेटी गठित की जाकर बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की समुचित पालना सुनिश्चित करते हुये, इसकी प्रभावी मोनिटरिंग करवाई जावे एवं समय समय पर प्रगति रिपोर्ट आयुक्तालय को भिजवाया जाना भी व्यक्तिशः सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार ।

(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राज0,जयपुर।

क्रमांकः–एफ–1(   )प्रशासन/आकाशि/2019/   दिनांकः–

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को परिपत्र क्रमांक प.8(2)प्र.सु./अनु–4/2019 (पार्ट) दिनांक 30 अगस्त 2019 के क्रम में प्रेषित है ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके कार्यालय की डायरी क्रमांक 6605 दिनांक 3.09.2019 के क्रम में प्रेषित है।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने बाबत्।

20/9/19

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।

I. D. No. 708 PS/CUE/D
Dated. 5/9/19

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–4) विभाग

क्रमांक प.8(2)प्र.सु./अनु–4/2019 (पार्ट) जयपुर, दिनांकः 30.08.19

परिपत्र

विषयः बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था के संबंध में।

S.D. Adm.
5/9/19

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 1(2)/कार्मिक/ख–3/2012 क्रमशः दिनांक 06.02.2012 एवं 30.03.2012 द्वारा राज्य सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली प्रारम्भ की गई थी। इस प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों एवं सचिवगण से निवेदन है कि वे अपने विभाग के स्तर पर एक कमेटी गठित कर, बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था की समुचित पालना सुनिश्चित करें।

D-O
CCE
JSTE I
JSHE

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

निजी सचिव
2/9/19 शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 6605
दिनांक 3/9/19

6/9/19

3763
6/9/19